

# कोटा नागरिक सहकारी बैंक लि, कोटा

## आवश्यक सूचना

शाखा के समस्त ऋण खाता धारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ऋणों की मासिक किश्तें निर्धारित तिथि तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा किश्तें बकाया होने पर आर.बी.आई नियमानुसार सामयिक श्रेणी (SMA-01, SMA-02 & SMA-03) में वर्गीकृत करते हुए नियमानुसार डिफाल्ट दिनों की गणना को सिबिल एवं अन्य वित्तीय पोर्टल पर रिपोर्ट कर दिया जाता है जिससे संबंधित ऋणी व जमानतदार की सिबिल स्कोर प्रभावित हो सकती है।

ग्राहकों के हितों में उक्त जानकारी दी जा रही है।

आज्ञा से

प्रबंध निदेशक

कोटा नागरिक सहकारी बैंक लि०, कोटा